

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, मुख्यालय,
बिहार राज्य ईलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोलोनी,
टी. आर. डब्लू भवन के नजदीक,
पोस्ट+थाना - शास्त्रीनगर, पटना- 800023

संदर्भ: पावरग्रिड/पू.क्षे.-1 क्षे.मु./आर.टी.आई-351/2023-24/ 352 दिनांक: 05.06.2023

To,
Shri Ramudgar Singh
Parasarma Parsoni
Near barail
Supaul-852110, Bihar

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत माँगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु आपके द्वारा ऑन लाईन माध्यम से जिसका रजिस्ट्रेशन न0 PGCIL/R/E/23/00186 दिनांक 27.05.2023 हैं, आवेदन प्रेषित किया गया था। जिसकी मुल प्रति आर. टी. आई. विभाग, पटना पू.क्षे.-1 मुख्यालय को दिनांक 29.05.2023 को प्राप्त हुआ था। वांछित सूचना प्राप्ति हेतु उक्त आवेदन संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया था। संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त वांछित सूचना जो निम्नवत हैं, आपके सूचनार्थ प्रेषित की जा रही हैं।

क्र0 सं0	माँगी गयी सूचना	उपलब्ध सूचना/जानकारी
1	<p>Sir, I am ramudgar singh and tree were cuted by power corporation of india limited saharsa in the line between tower number 6/1 to 7 and 7/0 to 7/1. I request to fill the loss by the compensation order letter.</p> <p>पावरग्रिड को0 ऑफ इ0 लि0 सहरसा द्वारा लूप इन लाइन में टावर संख्या 6/1 से 7/0 एवं 7/0 से 7/1 के बीच राम उदगार सिंह का काटे गए वृक्ष का क्षति का मुआवजा देने का आदेश पत्र का छाया प्रति दिया जाय।</p>	<p>1. चूंकि बहुत सारे वृक्ष मालिकों के वृक्षों कि क्षति का मुआवजा एक साथ प्रक्रिया में होती है, आपके मुआवजे की ऑर्डर में 16 अन्य वृक्ष मालिकों की जानकारी भी सम्मिलित है। जिसके कारण यह जानकारी आपके साथ साझा नहीं की जा सकती हैं।</p> <p>2. आपके वृक्षों कि क्षति का मुआवजा निम्न प्रकार है:-</p> <p>a) लूप इन लाइन में टावर संख्या- 6/1 से 7/0 के बीच आपके काटे गए 19 वृक्षों के क्षति की मुआवजा राशि: रु0 1,10,250/- मात्र।</p> <p>b) लूप इन लाइन में टावर संख्या- 7/0 से 7/1 के बीच आपके काटे</p>

		गए 60 वृक्षों के क्षति की मुआवजा राशि: रू0 3,20,850/- मात्र। मुआवजा राशि का मुल्यांकन पावरग्रिड द्वारा बागवानी विभाग, बिहार सरकार, सहरसा से प्राप्त पत्रांक संख्या:- 74/स0नि0उ0, सहरसा दिनांक 05/03/2021 के आधार पर किया गया है।
--	--	---

First Appellate Authority Address:

Chief General Manager(I/c), Eastern Region-I
Power Grid Corporation of India Ltd
BSEB Board Colony, Near TRW Centre
At+P.O: Shastri Nagar, Patna-800023(Bihar)

सधन्यवाद,

भवदीय


05/06/2023

(एम. क्यू. हुदा)

मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य एवं अभि0) सह
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी